Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 23, 2011
(BHADRA 1, 1933 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 23rd August, 2011

No. 20—HLA of 2011/56.—The Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 2011, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 20—HLA of 2011

THE PUNJAB PASSENGERS AND GOODS TAXATION (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2011

A

BILL

further to amend the Punjab Passengers and Goods Taxation Act, 1952, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Act, 2011. Short title.

2. In Sub-section (1) of Section 9 of the Punjab Passengers and Goods Taxation Act, 1952, for the words "of five rupees" existing at the end, the words "as prescribed" shall be substituted. Amendment of section 9 of Punjab Act 16 of 1952.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present the fee for registration under section 9 (1) of The Punjab Passengers and Goods Taxation Act, 1952 is five rupees which has not been revised since 1971. It is the Departmental suggestion to revise the same to the reasonable extent considering the difference in the price index of 1971 and that of 2011. The present proposal is therefore necessary.

KIRAN CHOUDHRY,
Excise and Taxation Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 23rd August, 2011

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

As stated in the Statement of Objects and Reasons the purpose of the proposed amendment, in addition to the Departmental suggestion to revise the Registration Fee to a reasonable extent considering the difference in the price index of 1971 and that of 2011, is to mobilize revenue for the State. It is likely to result in a revenue gain to the State of around rupees three crore fifty lacs per annum.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

In section 9 (1) of the proposed amendment of the Bill the fee of five rupees shall be substituted by the words "as prescribed". This delegation of power to the Executive is of normal character and no where overrides the normal scope of delegation of legislative power. Hence, this memorandum of delegation of legislative power is annexed as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2011 का विधेयक संख्या 20-एच०एल०ए०

पंजाब यात्री तथा माल कराधान (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2011

पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष मे हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप मे यह अधिनियमित हो : -

1. यह अधिनियम पंजाब यात्री तथा माल कराधान (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2011, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 की धारा 9 की उप-धारा (1) में, "पांच रुपये" शब्दों के स्थान पर, "यथा विहित" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1952 के पंजाब अधिनियम 16 की धारा 9 का संशोधन।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

पजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 की धारा 9(1) के अन्तर्गत पंजीकरण की वर्तमान फीस पांच रुपये है जोकि वर्ष 1971 से संशोधित नहीं की गई है। विभागीय सुझाव यह है कि वर्ष 1971 से वर्ष 2011 के मूल्य सूचकांक के अन्तर को ध्यान में रखते हुए यह पुन: निर्धारण आवश्यक है। इसलिए वर्तमान प्रस्ताव जरूरी है।

किरण चौधरी,
आबकारी व कराधान मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण मे राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है :

चण्डीगढ़ :
23 अगस्त, 2011

सुमित कुमार,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

जैसा कि उद्देश्य एवं कारणों के विवरण में वर्णित है कि प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य विभागीय सुझाव राज्य के राजस्व एकत्रित करने के लिए मूल्य सूचकांक 1971 से 2011 के अन्तर को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण शुल्क को यथोचित पुन: निर्धारण करना प्रस्तावित है। इसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व में लगभग तीन करोड़ पचास लाख रुपये की वार्षिक बढ़ोतरी होने की सम्भावना है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे ज्ञापन

विधेयक के प्रस्तावित संशोधन की धारा 9(1) में पांच रुपये शब्दों के स्थान पर "यथा विहित" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। कार्यपालिका का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है और विधायी शक्तियों के सामान्य प्रत्यायोजित की सीमा को नहीं लांघता है। अत विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन का यह ज्ञापन हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 126 के अधीन यथा अपेक्षित संलग्न है।

49020 H.V.S H.G.P., Chd.